

पत्रांक-श्रम क०सं०-17/2025-876
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 60,000/- (साठ हजार रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के तहत 04 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कृष्ण कुमार, 34, हरेन्द्र राम, अनुसूचित जाति वर्ग	प्रियंका देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 05 02.01.2026	ग्राम-उदामा रेखा, पं०+पो०-सिरनियाँ, थाना+प्र०-कटिहार, जिला-कटिहार 7667111596	1968000 1001702 74	PNB PUNB01 96800	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (सड़क दुर्घटना के कारण) कृषि मजदूरी
2	स्व० गोविन्द राय, 62, लोमीन राय, अनुसूचित जाति वर्ग	यशोदा देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 06 02.01.2026	ग्राम-भोगाँव, पो०-मिलिक पहलागढ़, थाना+प्र०-कदवा, जिला-कटिहार 6287846474	3290620 3143	SBI SBIN000 3127	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु भवन निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य
3	स्व० कन्हैया पासवान, 41, स्व० लाल पासवान, अनुसूचित जाति वर्ग	पिकी देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 07 02.01.2026	ग्राम-हफलागंज सिरनियाँ, पं०+पो०-सिरनिया, थाना-मुफस्सिल, प्र०-कटिहार, जिला-कटिहार 9097531088	4265140 1421	SBI SBIN000 6428	रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (सड़क दुर्घटना के कारण) राजमिस्त्री का हेल्पर
4	स्व० चैतु मुर्मू, 64, स्व० मुचरू मुर्मू, अनुसूचित जनजाति वर्ग	मंजिला दूबू (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 29 06.01.2026	ग्राम-मेढौल, पं०-महम्मदपुर, पो०-दुर्गागंज, थाना+प्र०-कदवा, जिला-कटिहार 8521378257	3338644 1306	SBI SBIN000 8391	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु राजमिस्त्री का हेल्पर
5	स्व० सुबोल कुमार, 31, योगेन्द्र उर्राँव, अनुसूचित जनजाति वर्ग	करुणा देवी (माता)	544 19.05.2026 एवं 134 09.02.2026	ग्राम-जगवाटी, पं०-मनोहरपुर, पो०-कुमारीपुर, थाना+प्र०-मनिहारी, जिला-कटिहार 7645850771	2203597 5269	INDIAN BANK IDIB000 K827	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि मजदूर

2

6	स्व० रामनाथ उरौव, 60, मोती, उरौव, अनुसूचित जनजाति	सुमति देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 902 05.08.2025 एवं 712 01.07.2025	ग्राम-रानीडीह, कुमारीपुर, वार्ड-04, प०-कुमारीपुर, पो०-कुमारीपुर, थाना+प्र०-मनिहारी, जिला-कटिहार 8093862173	0082107 20711	IPPB IPOS000 0001	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
7	स्व० सुदल राय, 58, स्व० उपेन राय, अनुसूचित जाति वर्ग	जोलो देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 905 05.08.2025 एवं 706 01.07.2025	ग्राम+प०-आजमनगर, पो०-आजमनगर, थाना+प्र०-आजमनगर, जिला-कटिहार 7900052941	5498186 309	CBI CBIN02 81711	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
8	स्व० आनन्द मिस्त्री, 61, मंगला मिस्त्री, अनुसूचित जनजाति	रासो देवी (पत्नी)	544 19.05.2026 एवं 907 05.08.2025 एवं 714 01.07.2025	ग्राम-बैरगाछी, प०-कुमारीपुर, पो०-कुमारीपुर, थाना+प्र०-मनिहारी, जिला-कटिहार 7541906895	5919478 8783	INDIAN BANK IDIB000 K827	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, लोहार गिरी का कार्य करते थे

कुल राशि :-रु० 5,60,000/-

(पाँच लाख साठ हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

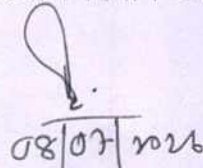
(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-17/2025-876

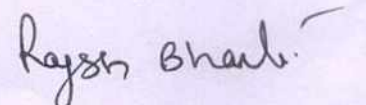
पटना, दिनांक :- 1.9.2025 / 09.09.2025

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, कटिहार/उप श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक